ACM आमेर जयपुर

फर्द अहकाम

लक्ष्मण बनाम गोपाल

नाम न्यायालय

केस संख्या 54/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	7/5/25	पत्रावली प्रस्तुत। वादी के बहस हेतु समय चाहा। आ.नां. पेशी पर आवश्यकरूप से बहस करे। पत्रावली दिनांक 12/5/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
vc	12/5/25 लक्ष्मण	पत्रावली प्रस्तुत। वादी अधिवक्ता उप.। कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों के आधार पर वाद तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 54/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक : 02.07.2024

लक्ष्मण पुत्र जगदीश जाति किशना पुत्र गंगाराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम चंदपुराजाटान, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र जगदीश
2. मुकेश पुत्र नाथूराम
3. हनुमान पुत्र जगदीश
   समस्त जाति बागड़ा, निवासी ग्राम बिशनसिंहपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू व जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक महोदय, जालसू तहसील जालसू, जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

दिनांक 12.05.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी वाके ग्राम बिशनसिंहपुरा, पटवार हल्का पूनाना, भू–अभिलेख क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 146 रकबा 4.2600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 180 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 187 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 194 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 195/360 रकबा 0.050 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 5.7200 हैक्टेयर स्थित है। जो राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2074 से 2077 अर्न्तगत दर्ज इन्द्राज के अनुसरण में उक्त खसरान् की भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा निहित है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी अनुसार शेष हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज एंव अंकित चला आ रहा है। वादी उपरोक्त वर्णित खाते की उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करते आ रहे है। उपरोक्त वर्णित खाता की उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि को "वाद अधीन कृषि भूमि' शब्द से प्रयुक्त किया जा रहा है। वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से उक्त वर्णित रकबा भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। चूंकि वाद अधीन कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एंव अंकित चली आ रही है इसलिये वादी ने समय–समय पर प्रतिवादीगण को वाद अधीन कृषि भूमि कब्जे काश्त के मध्यनजर मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो प्रतिवादीगण मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

पर कब्जे काश्त के मध्यनजर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरते रहे परन्तु बंटवारा नहीं किया जबकि विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विशिष्ट भू–भाग विक्रय–हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि विधि अनुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के प्रत्येक इन्च भाग पर सह–हिस्सेदार काश्तकार का विधिक कब्जा एंव विधिक रिकार्डेड खातेदारी अधिकार निहित होता हैं। उक्त गैर कानूनी व विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादीगण, वादी को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से बेदखल करने एंव प्रतिवादीगण को विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा कर एंव विशिष्ठ भू–भाग पर पक्का स्थाई एंव अस्थाई निर्माण कार्य करने पर उतारू है इस संबंध में प्रतिवादीगण दिनांक 24–06–2024 को साजिश रचकर मौके पर आये और वादी को एलानियां धमकी दी कि वाद अधीन कृषि भूमि का विशिष्ठ भू–भाग पर निर्माण कार्य करेगें तथा उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दम लेगें। इसलिये तुम वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा बाहुबल के आधार पर तुमको बेदखल कर दिया जायेगा। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं हैं। चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये प्रतिवादीगण को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग को विक्रय–हस्तान्तरण एंव खुर्द–बुर्द करने एवं निर्माण कार्य करने एंव वादी को विशिष्ठ भू–भाग से बेदखल करने के कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। चूँकि प्रतिवादीगण ने कानून को ताक में रख कर कानून को हाथ में लिया है। चूँकि प्रतिवादीगण गैर कानूनी तरीके से वादी को उसके खातेदारी व विधिक अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए है इसलिये वादी वाद अधीन कृषि भूमि का कब्जे काश्त के आधार पर विधिक विभाजन करवा कर अपने हिस्से की खातेदारी व कब्जा–काश्तशुदा कृषि भूमि को अपनी पृथक खातेदारी में दर्ज करवाने, राजस्व लगान एंव राजस्व नक्शा पृथक करवाने का अधिकारी है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 संपठित धारा 151 सीपीसी बाबत राजीनामा जरिये अधिवक्ता दिनांक 01.10.2024 को प्रस्तुत हुआ। मुताबिक राजीनामा उभयपक्ष वर्तमान कब्जे के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। तथा तहसीलदार जालसू जिला जयपुर को आदेशित किया कि वे वर्तमानकब्जे काश्त, राजीनामा को ध्यान में रखते हुए राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए ग्राम बिशनसिंहपुरा, पटवार हल्का पूनाना, भू–अभिलेख क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 146 रकबा 4.2600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 180 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 187 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 194 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 195/360 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर

0.050 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 5.7200 हैक्टेयर भूमि का राजीनामे के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया। तहसीलदार जालसू से कुर्रेजात प्राप्त होने पर उभयपक्ष को बहस व आपत्ति हेतु अवसर दिया गया।

प्रकरण में बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार जालसू द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी मे उभयपक्ष को अपने राजीनामें अनुसार विभाजन प्रस्ताव में हिस्सा दिया गया है तथा पक्षकारान को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है उभयपक्ष ने कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने हेतू निवेदन किया। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. गोपाल पुत्र जगदीश हि. 1/3, लक्ष्मण पुत्र जगदीश हि. 1/3, हनुमान पुत्र जगदीश हि. 1/3 राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमेर जाति बागडा ब्राहमण सात्र देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 146/1 रकबा 2.1250 हैक्टेयर, खसरा नंबर 180/1 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 187/1 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 194/1 रकबा 0.1750 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.83 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. मुकेश पुत्र नाथूराम जाति बागडा ब्राहम्ण राहिन जयपुर नागौर आचंलिक ग्रामीण बैंक शाखा राधाकिशनपुरा के हिस्से खसरा नंबर 146/2 रकबा 2.1250 हैक्टेयर, खसरा नंबर 180/2 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 187/2 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 194/2 रकबा 0.1750 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.83 भूमि रहेगी।
3. गोपाल पुत्र जगदीश हि. 1/6 राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, लक्ष्मण पुत्र जगदीश 1/6 राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमेर, हनुमान पुत्र जगदीश हि. 1/6 राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमेर, मुकेश पुत्र नाथूराम हि. 1/2 राहिन जयपुर नागौर आचंलिक बैंक शाखा राधाकिशनपुरा, जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 146/3 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 195/360 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष ... बिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:43 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या 54/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक : 02.07.2024

लक्ष्मण पुत्र जगदीश जाति किशना पुत्र गंगाराम जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चंदपुराजाटान, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र जगदीश
2. मुकेश पुत्र नाथूराम
3. हनुमान पुत्र जगदीश
समस्त जाति बागड़ा, निवासी ग्राम बिशनसिंहपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू व जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक महोदय, जालसू तहसील जालसू, जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. गोपाल पुत्र जगदीश हि. 1/3, लक्ष्मण पुत्र जगदीश हि. 1/3, हनुमान पुत्र जगदीश हि. 1/3 राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमेर जाति बागडा ब्राहमण सात्र देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 146/1 रकबा 2.1250 हैक्टेयर, खसरा नंबर 180/1 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 187/1 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 194/1 रकबा 0.1750 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.83 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. मुकेश पुत्र नाथूराम जाति बागडा ब्राह्मण राहिन जयपुर नागौर आचंलिक ग्रामीण बैंक शाखा राधाकिशनपुरा के हिस्से खसरा नंबर 146/2 रकबा 2.1250 हैक्टेयर, खसरा नंबर 180/2 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 187/2 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 194/2 रकबा 0.1750 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.83 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. गोपाल पुत्र जगदीश हि. 1/6 राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, लक्ष्मण पुत्र जगदीश 1/6 राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमेर, हनुमान पुत्र जगदीश हि. 1/6 राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमेर, मुकेश पुत्र नाथूराम हि. 1/2 राहिन जयपुर नागौर आचंलिक बैंक शाखा राधाकिशनपुरा, जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 146/3 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 195/360 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

प्रकरण संख्या – 54/2024
बउनवानी – लक्ष्मण बनाम गोपाल वगै0
निर्णय दिनांक :–12.05.2025

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 12.05.2025 को जारी किया।

ाखत–––
दा–––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
गहन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमि		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		श्नर	4 रूपये	
गुतफरित			बबत् इजराय हुक्मानामा		
गीजान			मुतफरित		
			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:43 IST
Reason: SelfAttested